न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 34/2021

मनोज कुमार पुत्र दरिया सिंह जाति जाट, निवासी पालोता, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
— अपीलान्ट—

—बनाम—

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बुहाना, जिला झुन्झुनू।
—रेस्पोडेन्ट—

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम मनोज कुमार अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 07/2017 निर्णय दिनांक 22.02.2018

उपस्थिति :—

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता ———————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ——————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निर्णय — दिनांक 30.05.2022

उक्त अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 22.02.2018 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मनोज कुमार मुकदमा नम्बर 07/2017 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना के विरूद्व पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है — कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नम्बर 135 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता सरहद मौजा सांवलोद में से 18 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया है। जबकि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्व धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागु नही होते है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब को डिसकस किये बिना ही निर्णय जैर बहस पारित किया है। जो खारीज होने योग्य है। निर्णय के आधार मनमाने है। अपीलान्ट को नोटिस जमीन खसरा नम्बर 135 सरहद मौजा पालोता के संबंध में दिया गया है। जबकि निर्णय में ग्राम सांवलोद की भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। तथाकथित अतिक्रमण को पटवारी ने साबित नही किया है। फर्द नपती पेश नही की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष यह जबाब प्रस्तुत किया था कि अपीलान्ट खसरा नम्बर 134 में आबाद है और यह कथन किया था कि खसरा नम्बर 133 व 136 के हिस्सेदारों ने खसरा नम्बर 135 पर कब्जा कर रखा है साथ ही मौके पर जमीन का विधिवत नाप करवा कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाने का निवेदन किया था। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की जबाबदेही को बिना डिसकस किये मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्यों एवं विधि की भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि अदालत मातहत नायब तहसीलदार बुहाना ने अपीलान्ट को जमीन खसरा नम्बर 135 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता सरहद मौजा सांवलोद में से 18 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमी घोषित कर बेदखल करने का आदेश पारित किया है। जबकि अपीलान्ट अतिक्रमी नही है। अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के प्रावधान लागु नही होते है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब को डिसकस किये बिना ही निर्णय जैर बहस पारित किया है। जो खारीज होने योग्य है, निर्णय के आधार मनमाने है। अपीलान्ट को नोटिस जमीन खसरा नम्बर 135 सरहद मौजा पालोता के संबंध में दिया गया है। जबकि निर्णय में ग्राम सांवलोद की भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। तथाकथित अतिक्रमण को पटवारी ने साबित नही किया है। फर्द नपती पेश नही की गई है। अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष यह जबाब प्रस्तुत किया था कि अपीलान्ट खसरा नम्बर 134 में आबाद है और यह कथन किया था कि खसरा नम्बर 133 व 136 के हिस्सेदारों ने खसरा नम्बर 135 पर कब्जा कर रखा है साथ ही मौके पर जमीन का विधिवत नाप करवा कर वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाने का निवेदन किया था। अदालत मातहत ने अपीलान्ट की जबाबदेही को बिना डिसकस किये मनमर्जी से निर्णय जैर बहस पारित कर तथ्यों एवं विधि की भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने मौजा ग्राम पालोता के हाल खसरा नम्बर 135 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 18 वर्गमीटर भूमि पर निर्माण कर अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया को अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत समुचित अवसर दिया जाकर विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट ने विवादित भूमि के संबंध में ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जिससे वादग्रस्त भूमि पर उसका कब्जा/अतिक्रमण वैध साबित होता हो। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट खारीज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2018 उनवानी सरकार बनाम मनोज कुमार मुकदमा नम्बर 07/2017 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:49:39 IST
Reason: SelfAttested